

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 81/2008

अनवान : –

1. हेमराज पुत्र श्री मगनीराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा हाल आबाद ढाणी खेत गांव ढाणी लालखां तहसील नोहर –फौत
1/1 रामसिंह पुत्र स्व. हेमराज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा –फौत
1/1/1 सन्तोष पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा
1/1/2 लक्ष्मी पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा
1/1/3 मनोज कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद जिला सिरसा
1/1/4 रमना पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा
1/2 अजयपाल पुत्र स्व. हेमराज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद जिला सिरसा।
1/3 गीतादेवी पुत्री स्व. हेमराज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद जिला सिरसा।
1/ 4 दुर्गादेवी पुत्री स्व. हेमराज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद जिला सिरसा।
1/5 देवकी पुत्री स्व. हेमराज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा
1/6 धापा पुत्री स्व. हेमराज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा।
1/7 बादो पुत्री स्व. हेमराज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा।


– प्रार्थीगण

बनाम्

1. नरसा राम – फौत

- 1/1 महावीर पुत्र स्व. नरसाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा
- 1/2 ईश्वर पुत्र स्व. नरसाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा
- 1/3 जगदीश पुत्र स्व. नरसाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा
- 1/4 पाला देवी पुत्री स्व. नरसाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा
- 1/5 सावित्री देवी पुत्री स्व. नरसाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा

2- इन्द्राज – फौत


Rahul
उपखण्ड अधिकारी

- 2/1 राजो देवी पत्नि स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 2/2 लिछमा पुत्री स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 2/3 सजना देवी पुत्री स्व. इन्द्राज जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 2/4 महिपाल पुत्र इन्द्राज पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 3 मनीराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 4- भंवराराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 5- शेरा पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 6- धनकोर पुत्री पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 7 विमला देवी पुत्री पुराराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 8- सिंगगारी बेवा रामेश्वर वल्द पुराराम वल्द जीवणराम जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा - हरियाणा
- 9- लालचन्द पुत्र रामेश्वर पुत्र पुराराम वल्द जीवणराम जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा - हरियाणा।
10. रूकमा पुत्री रामेश्वर पुत्र पुराराम वल्द जीवणराम जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा - हरियाणा।
11. गुडडी उर्फ कृष्णा बेवा भादरराम पुत्र पुराराम वल्द जीवणराम जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा - हरियाणा।
12. चन्द्र पुत्र/पुत्री भादरराम पुत्र पुराराम वल्द जीवणराम जाति जाट
13. सुनिता गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा - हरियाणा।
- 14 हंसराम - फौत
- 14/1 रामचन्द्र
- 14/2 मदनलाल पुत्र/पुत्री हंसराम पुत्र हुक्माराम वल्द जीवणराम जाति
- 4/3 सावित्री जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
15. केशराराम पुत्र हुक्माराम पुत्र जीवणराम जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
16. बलवन्त - फौत
- 16/1 प्रेम चन्द पुत्र स्व.बलवन्त जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा

Lalraj
अपराध अधिकारी

- 16/2 सिलोचना पुत्री स्व.बलवन्त जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा
- 16/3 लाजवन्ती पुत्री स्व.बलवन्त जाति जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला
सिरसा
- 17- गौरीशंकर - फौत
- 17/1 विमला पत्नी स्व0 गौरीशंकर
- 17/2 बिरबल पुत्र स्व0 गौरीशंकर पुत्र हुक्माराम पुत्र जीवणराम जाति
- 17/3 विजेन्द्र पुत्र स्व0 गौरीशंकर जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील
- 17/4 मंजु पुत्री स्व0 गौरीशंकर ऐलनाबाद जिला सिरसा
18. औमप्रकाश - फौत
- 18/1 प्रवीण पुत्र स्व. औमप्रकाश पुत्र हुक्माराम पुत्र जीवणराम जाति जाट गांव चिलकनी
ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
19. विद्यादेवी पुत्रीया हुक्माराम पुत्र जीवणराम जाति जाट गांव चिलकनी
- 20 विमला ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
21. दुनीराम -फौत
- 21/1 मोहनी पत्नी स्व0 दुनीराम पुत्र उदाराम वल्द गणपत वल्द
- 21/2 राजपाल उर्फ राजेन्द्र पुत्र स्व0 दुनीराम पेमाराम जाति जाट गांव
- 21/3 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 दुनीराम चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद जिला सिरसा
- 22 गुरदयाल
- 23 रामस्वरूप पुत्र/पुत्रीयान उदाराम वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति
24. गीता जाट गांव चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
25. बिदामो - फौत
- 25/1 रामेश्वरी पुत्री बिदामो पुत्री उदाराम पुत्र गणपत पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी वार्ड सं.
30 संजय बस्ती रावतसर तहसील रावतसर
- 25/2 सुशीला पुत्री पुत्री बिदामो पुत्री उदाराम पुत्र गणपत पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी
वार्ड सं. 30 संजय बस्ती रावतसर तहसील रावतसर
- 25/3 सरोज पुत्री पुत्री बिदामो पुत्री उदाराम पुत्र गणपत पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी वार्ड
सं. 30 संजय बस्ती रावतसर तहसील रावतसर
- 25/4 राजेन्द्र पुत्र पुत्री बिदामो पुत्री उदाराम पुत्र गणपत पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी वार्ड
सं. 30 संजय बस्ती रावतसर तहसील रावतसर
26. धनकौर -फौत

Rahul
उपवर्ग अधिकारी
बोहर

26/1 कलावती पुत्री स्व0 धनकोर
26/2 बिमला पुत्री स्व0 धनकोर
26/3 धर्मपाल पुत्र स्व0 धनकोर
26/4 शिवभगवान पुत्र स्व0 धनकोर
26/5 साहबराम पुत्र स्व0. धनकोर
27. घड़सी पुत्र पुरखाराम –फौत

जाति जाट निवासी
न्योलखी तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ राजस्थान

27/1 औमप्रकाश पुत्र स्व. घड़सी
27/2 गुडडी पुत्री स्व0 घड़सी
27/3 सन्तोष देवी पुत्री स्व0 घड़सी
27/4 कमला देवी पुत्री स्व. घड़सी
27/5 सुरस्वती पुत्री स्व. घड़सी
27/6 इन्द्रपाल पुत्र स्व. घड़सी –फौत

पुत्र पुरखा पुत्र गणपत जाति जाट
निवासी चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद जिला सिंरसा।

27/6/1 ज्यानादेवी पत्नी इन्द्रपाल पुत्र स्व. घड़सी पुत्र पुरखा पुत्र गणपत
27/6/2 रामसिंह पुत्र स्व0 इन्द्रपाल पुत्र स्व0 घड़सी जाति जाट निवासी
27/6/3 विनोद पुत्र स्व0. इन्द्रपाल पुत्र स्व0 घड़सी चिलकनीढाब त. ऐलनाबाद
27/7 सोना देवी पत्नि स्व. घडसीराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
जिला सिंरसा।

28 लीलूराम पुत्र लिछमण वल्द गणपतराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब
तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा

29. काशीराम– फौत

29/1 शारदा देवी पत्नी स्व0 काशीराम

29/2 राजीवर पुत्र स्व0 काशीराम

जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब

29/3 सुभाष पुत्र स्व0 काशीराम

तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा।


30.पालाराम पुत्र लिछमण वल्द गणपतराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब
तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा।

31 चन्दो पुत्री लिछमण वल्द गणपतराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
ऐलनाबाद जिला सिंरसा।


32. गिरदावरी पत्नि रामलाल वल्द लिछमण वल्द गणपत वल्द पेमाराम – फौत

इनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 33 से 35 पहले ही मौजूद है।

33 जयसिंह पुत्र रामलाल वल्द लिछमण वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी
चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा


अनंद सिंह अधिकारी
मोहर

34. मोहरसिंह पुत्र रामलाल वल्द लिछमण वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी
चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
35. मैना पुत्री रामलाल वल्द लिछमण वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी
ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
36. पिस्ता देवी बेवा मुलाराम वल्द कुम्भाराम वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी
भूरटवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा फौत- हो चुकी है
जिसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 37 ता 39 पहले से ही मौजूद है।
- 37 महेन्द्र पुत्र मुलाराम वल्द कुम्भाराम वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी भूरटवाला
तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
- 38 रमेश पुत्र मुलाराम वल्द कुम्भाराम वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी भूरटवाला
तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
- 39 मीरा पुत्री मुलाराम वल्द कुम्भाराम वल्द गणपत वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी भूरटवाला
तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
- 40.अमीलाल -फौत
- 40/1 भागादेवी पत्नि अमीलाल वल्द लुणाराम वल्द लेखुराम पुत्र पेमाराम
- 40/2 बृजलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
- 40/3 इन्द्रपाल पुत्र अमीलाल ऐलानाबाद जिला सिरसा
- 41 महावीर पुत्र लुणाराम -फौत
- 41/1 सावित्री पुत्री स्व0 महावीर पुत्र लुणाराम वल्द लेखुराम पुत्र पेमाराम जाति
जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील
- 41/2 मंजु पुत्री स्व0 महावीर ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 41/3 गुरदीप पुत्र स्व0 महावीर
- 42 राकोरी पुत्री लुणाराम वल्द लेखुराम वल्द पेमाराम जाति जाट
निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद
- 43 गुटटी देवी पुत्री लुणाराम
- 44 चिमा पुत्री लूणाराम - फौत
- 44/1 सुरेश कुमार पुत्र चीमा पुत्री लूणाराम पत्नि हीरालाल जाति जाट निवासी बरासरी
तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
- 44/2 रमेश कुमार पुत्र चीमा पुत्री लूणाराम पत्नि हीरालाल जाति जाट निवासी बरासरी
तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
45. कृष्ण पुत्र सुरजाराम
- 46 लिलूराम पुत्र सुरजाराम
- 47 सतांदेवी पुत्री सुरजाराम वल्द लेखुराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी
चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
48. मीरादेवी पुत्री सुरजारा
- 49 गुडडी पुत्री सुरजारा
50. लालादेवी


 उपखण्ड अधिकारी
 बीहर

51. तुलछा बेवा सुरजाराम वल्द लेखुराम – फौत हो चुकी है इनके वारिसान प्रतिवादी स० 45 से 50 पहले से ही मौजूद है

52. श्योकरण वल्द आशाराम वल्द पेमाराम – मृतक

52/1 चन्दोदेवी पुत्री श्योकरण – फौत

52/1/1 महेन्द्रसिंह पुत्र स्व० चन्दोदेवी

जाति जाट निवासी परलीका

52/1/2 ईश्वरसिंह पुत्र स्व० चन्दोदेवी

तहसील नोहर

52/1/3 मैना पुत्री स्व. चन्दोदेवी

52/1/4 सिलोचना पुत्री स्व. चन्दोदेवी

52/1/5 सीमा पुत्री स्व. चन्दोदेवी

52/2 बाधो पुत्री स्व० श्योकरण जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

52/3 विद्यादेवी पुत्री स्व० श्योकरण – फौत

52/3/1 रमेश पुत्र विद्या देवी पुत्री स्व. श्योकरण पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी सुल्तानपुरिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा

52/3/2 राजेन्द्र पुत्र विद्या देवी पुत्री स्व. श्योकरण पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी सुल्तानपुरिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा

52/3/3 सीमा पुत्री विद्या देवी पुत्री स्व. श्योकरण पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी सुल्तानपुरिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा

52/4 रामादेवी पुत्री स्व० श्योकरण

जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब

52/5 सपारणा देवी पुत्री स्व० श्योकरण

तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

52/6 गुडडी देवी पुत्री स्व० श्योकरण

52/7 कृष्ण कुमार पुत्र स्व० श्योकरण पुत्र आशाराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

52/8 किशोरी लाल पुत्र स्व. श्योकरण पुत्र आशाराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा – फौत

52/8/1 जमना देवी पत्नी स्व. किशोरीलाल पुत्र स्व. श्योकरण पुत्र आशाराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

52/8/2 कविता पुत्री किशोरीलाल पुत्र स्व० श्योकरण पुत्र आशाराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

52/8/3 सुनीता पुत्री किशोरीलाल पुत्र स्व० श्योकरण पुत्र आशाराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

52/8/4 अरूण पुत्र स्व. किशोरी लाल पुत्र स्व० श्योकरण पुत्र आशाराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

53. रोहताश पुत्र सुरजा वल्द जोरा वल्द आशाराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला

उपखण्ड अधिकारी
रोहताश

- 65/9 सिलोचना पुत्री रामकरण पुत्र मगनीराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी चिलकनी ढाब तहसील ऐलनाबाद जिला सिंरसा
- 65/10 पारी देवी पुत्री स्व. रामकरण – फौत
- 65/10/1 सुमन पुत्री पारी देवी पुत्री रामकरण पुत्र मगनीराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
- 65/10/2 शकीला पुत्री पारी देवी पुत्री रामकरण पुत्र मगनीराम वल्द पेमाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पिलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
66. अधिशाषी अभियन्ता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड नोहर तहसील नोहर।
- 67 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
- 68 सोनुराम पुत्र पूर्णाराम जाति सुथार निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर
69. विजेन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
– गैरसायलान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी जोशी अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय

दिनांक: 16/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के ख0न0 162 की 2.352 हैक्ट व ख0न0 163 की 3.359 हैक्ट कुल 5.691 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि में हेमराज का 107 हिस्सा यानि की 5 बीघा 7 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज है। प्रार्थी का कब्जा ख0न0 162 के पूर्वी दिशा में 163 के दक्षिण दिशा में 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर है। उक्त खसरा न0 के चिपत हुए ख0न0 161 व 167 जिसमें ख0न0 167 की 22 बीघा 4 बिस्वा व ख0न0 161 की 3 बीघा 6 बिस्वा 66 हिस्सा भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा शेष भूमि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई दफा कहा गया की उक्त भूमि का खाता व लगान अलग करवा लेवे तो अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया की 45, 146 की कार्यवाही जैरकार है अत खाता व लगान अलग नहीं हो सकता है। उक्त भूमि बाबत 145, 146 की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बिना पक्षकारा बनाये कार्यवाही कि गई एवं अप्रार्थी लिलूराम 145, 46 की कूर्की पर जमा शुद्धा जमानत राशि को अकेला हड़पना चाहता है जबकि लिलूराम के 3 बिस्वा ही भूमि आती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की सिंचाई सुविधा में भी बाधा पैदा की जा रही है। अगर सिंचाई विभाग द्वारा प्रार्थी की पानी की बारी काट दी जावेगी तो प्रार्थी की सारी फसल बर्बाद हो जावेग एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खड़ी फसल को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। अत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ढाणी लालखां के ख0न0 162 की 2.353 हैक्ट, 163 की 3.359 हैक्ट कुल 5.691 हैक्ट भूमि में प्रार्थी के 107 हिस्सा भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं किया जावे एवं एवं न ही उसको पानी की बारी से वंचित किया जावे।


Lalun
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया की ख0न0 162 व 163 की भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है उक्त भूमि गैरसायलान के कब्जा काश्त की है अतः प्रार्थीगण उक्त भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि 145-146 सीआरपीसी के अन्तर्गत कुर्क की गई है जो की सही की गई है एवं प्रार्थी की बारी भी सही तौर से काटी गई है। वाद ग्रस्त भूमि बाबत 1998 में एक वाद लीलूराम बनाम कुम्भाराम न्यायालय हाजा में पेश किया गया था जो की राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है जब तक माननीय मण्डल द्वारा निर्णय पारित नहीं किया जा सकता तब तक प्रार्थी को अन्य वाद/प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि पर सायल का कोई कब्जा काश्त नहीं है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावों के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्ण्य क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजनलाल पुत्र हरजीराम के नाम दर्ज है प्रार्थी व अप्रार्थी का कथन है कि भजनलाल का देहान्त हो चुका है।

प्रार्थी का कथन है उक्त भूमि में हेमराज का 107 हिस्सा यानि की 5 बीघा 7 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज है। प्रार्थी का कब्जा ख0न0 162 के पूर्वी दिशा में 163 के दक्षिण दिशा में 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर है। उक्त खसरा न0 के चिपत हुए ख0न0 161 व 167 जिसमें ख0न0 167 की 22 बीघा 4 बिस्वा व ख0न0 161 की 3 बीघा 6 बिस्वा 66 हिस्सा भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा शेष भूमि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई दफा कहा गया की उक्त भूमि का खाता व लगान अलग करवा लेवे तो अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया की 45, 146 की कार्यवाही जैरकार है अतः खाता व लगान अलग नहीं हो सकता है। उक्त भूमि बाबत 145, 146 की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बिना पक्षकारा बनाये कार्यवाही कि गई एवं अप्रार्थी लीलूराम 145, 46 की कूर्की पर जमा शुद्धा जमानत राशि को अकेला हड़पना चाहता है जबकि लीलूराम के 3 बिस्वा ही भूमि आती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की सिंचाई सुविधा में भी बाधा पैदा की जा रही है। अगर सिंचाई विभाग द्वारा प्रार्थी की पानी की बारी काट दी जावेगी तो प्रार्थी की सारी फसल बर्बाद हो जावेग एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खड़ी फसल को खुर्द बुर्द किया जा रहा है।

अप्रार्थीगण का कथन है कि ख0न0 162 व 163 की भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है उक्त भूमि गैरसायलान के कब्जा काश्त की है अतः प्रार्थीगण उक्त भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने के अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि 145-146 सीआरपीसी के अन्तर्गत कुर्क की गई है जो की सही की गई है एवं प्रार्थी की बारी भी सही तौर से काटी गई है। वाद ग्रस्त भूमि बाबत 1998 में एक वाद लीलूराम बनाम कुम्भाराम न्यायालय हाजा में पेश किया गया था जो की राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है जब तक माननीय मण्डल द्वारा निर्णय पारित नहीं किया जा सकता तब तक प्रार्थी को अन्य वाद/प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है।



 उपखण्ड अधिकारी
 बीहर

उक्त भूमि पर सायल का कोई कब्जा काश्त नहीं है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के मुताबिक सायल द्वारा कब्जा व हकों के निर्धारण हेतु यह वाद पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हको का निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि प्रार्थी की है अतः जब तक यह निर्धारण नहीं हो जाता है कि भूमि प्रार्थी की है या अप्रार्थी की तब तक भूमि की यथास्थिति हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिस पर पटवार हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि पर हेमराज यानि की प्रार्थीगण के पिता का कब्जा है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नहीं की जाती है तो अपूर्ण्य क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के ख0न0 162 की 2.353 हैक्ट, 163 की 3.359 हैक्ट कुल 5.691 हैक्ट भूमि में प्रार्थी के 107 हिस्सा भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक.....16/02/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर